

पंचायत निर्वाचन

प्ररूप-4

(नियम-31 देखिये)

नामनिर्देशन पत्र

**\*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच**

मैं, प्रस्तावक \*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित को नामनिर्दिष्ट करता/करती हूँ :-

**\*निर्वाचन के पद के ब्यौरे**

जिला	
------	--

जिला पंचायत सदस्य		जनपद पंचायत सदस्य	
जिला पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक

सरपंच		पंच		
जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड क्रमांक

**अभ्यर्थी के ब्यौरे**

1.	अभ्यर्थी का पूरा नाम			
2.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
3.	अभ्यर्थी के पिता/पति का नाम			
4.	अभ्यर्थी के डाक का पूरा पता			

**5. मतदाता सूची में दर्ज, अभ्यर्थी के नाम के ब्यौरे**

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची में अनुक्रमांक

**प्रस्तावक के ब्यौरे**

6.	प्रस्तावक का पूरा नाम			
7.	*लिंग	पुरुष	महिला	अन्य
8.	प्रस्तावक के पिता/पति का नाम			
9.	प्रस्तावक के डाक का पूरा पता			
10.	प्रस्तावक का मोबाईल नम्बर			

**11. मतदाता सूची में दर्ज, प्रस्तावक के नाम के ब्यौरे**

जनपद पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत का वार्ड क्रमांक	मतदाता सूची में अनुक्रमांक

\*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख .....

प्रस्तावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम .....

**अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन हेतु सहमति**

मैं, ऊपर उल्लिखित अभ्यर्थी, इस नामनिर्देशन को अपनी सहमति देता/देती हूँ और मेरे ब्यौरे निम्नानुसार है :-

12.	जन्मतिथि	तारीख	माह	वर्ष						
13.	संवीक्षा की तारीख को आयु (वर्षों में)									
14.	जाति/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग)									
15.	जाति नाम (आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में)									
16.	जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम									
17.	मतपत्र पर मुद्रित होने वाला नाम (हिन्दी में)									
18.	मतपत्र पर मुद्रित होने वाले अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी स्पेलिंग									
19.	अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर									

उपरोक्त वर्णित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास से सत्य है, मैं अर्ह हूँ तथा उपरोक्त वर्णित पद के लिए चुने जाने के लिए निरर्हित भी नहीं हूँ।

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

**नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज**

अनुक्रमांक	दस्तावेजों के ब्यौरे	संलग्न (हाँ/नहीं)
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी को घोषित करने के सम्बंध में दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रतियों के साथ <b>*शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र</b> .	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में, मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>जाति प्रमाण-पत्र</b> की प्रति.	
3.	<b>प्रतिभूति जमा की रसीद.</b>	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार <b>विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.</b>	
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार <b>*जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.</b>	
6.	अन्य -	
7.	अन्य -	

\*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान  
नाम .....

(रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भरा जाए)

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक

नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे, जिसके लिए अभ्यर्थी को रसीद प्रदान की गई है.  
(कॉलम क्रमांक-3 एवं 4 में, वही ब्यौरे अंकित किए जाए, जो कि अभ्यर्थी को सौंपी गई रसीद में लिखे हैं.)

अनुक्रमांक	दस्तावेजों के ब्यौरे	संलग्न (हाँ / नहीं)	यदि संलग्न नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा	
			तारीख एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी घोषित करने के सम्बंध में दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति के साथ *शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र.			रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही *शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति.			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
3.	प्रतिभूति जमा की रसीद.			रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रतिभूति जमा की रसीद, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार *जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
6.	अन्य -			
7.	अन्य -			

\*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख .....

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के  
हस्ताक्षर

नाम .....



**\*जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य/सरपंच/पंच के पद हेतु अभ्यर्थी को सौंपे जाने वाली नामनिर्देशन पत्र की रसीद और संवीक्षा की सूचना.**

1.	नामनिर्देशन पत्र का अनुक्रमांक		
2.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख		
3.	रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय		
4.	*रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति	अभ्यर्थी	प्रस्तावक
5.	अभ्यर्थी का नाम		
6.	पद का नाम, जिसके लिए नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिला पंचायत सदस्य/जनपद पंचायत सदस्य के पद के लिए निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक/वार्ड क्रमांक भी अंकित करें। सरपंच के पद के लिए ग्राम पंचायत का नाम और पंच के पद के लिए ग्राम पंचायत तथा वार्ड क्रमांक भी अंकित करें।		
7.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा की तारीख		
8.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का समय		
9.	नामनिर्देशन पत्र की संवीक्षा का स्थान		

**नामनिर्देशन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे**

अनुक्रमांक	दस्तावेजों के ब्यौरे	संलग्न (हाँ/नहीं)	यदि संलग्न नहीं है, तो रिटर्निंग ऑफिसर को विशिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने की समय-सीमा	
			तारीख एवं समय	अवसर
1	2	3	4	5
1.	मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-31(क) के अनुसार आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हता से सम्बंधित जानकारी घोषित करने के सम्बंध में <b>दो अतिरिक्त हस्ताक्षरित प्रति के साथ *शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र.</b>		रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही *शपथ-पत्र/घोषणा-पत्र, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
2.	आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की दशा में, मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी <b>जाति प्रमाण-पत्र</b> की प्रति.			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
3.	<b>प्रतिभूति जमा की रसीद.</b>		रिटर्निंग ऑफिसर को नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय ही प्रतिभूति जमा की रसीद, प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है.	
4.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार <b>विद्युत कम्पनी से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.</b>			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
5.	मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा-36 के अनुसार <b>*जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के सम्बंध में अदेय प्रमाण-पत्र.</b>			संवीक्षा की नियत तारीख एवं समय के पूर्व
6.	अन्य -			
7.	अन्य -			

\*लागू न होने वाला शब्द काट दें.

तारीख .....

रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) के  
हस्ताक्षर

नाम .....

मुद्रा (सील) .....